




NEWS LETTER

October 2018 - October 2019



Madhya Pradesh State Legal Services Authority, Jabalpur

Justice Ajay Kumar Mittal
CHIEF JUSTICE



191, South Civil Lines,
JABALPUR - 482 001
Tel. (O) 2626443
(R) 2678855
2626746
Fax 0761-2678833

27.11.2019

Message

"We are not to simply bandage the wounds of victims beneath the wheels of injustice; we are to drive a spoke into the wheel itself."


— Dietrich Bonhoeffer

The above said is the aim of Madhya Pradesh State Legal Service Authority, and I am happy to express that MPSLSA is striving at its best to provide fair and meaningful justice to every strata of the society.

Free and competent legal services have been incorporated in the legal system, to make justice accessible to the marginal section of the society. But due to illiteracy, ignorance or unawareness, a large section of our society, particularly those who live in remote rural areas, still remain deprived of the advantages of such welfare legislations and schemes. Lack of information and knowledge very often leads to deprivation of statutory entitlements and schematic benefits.

For making the aforesaid mission successful and in ensuring access to justice for all, the MP State Legal Services Authority is also working hard in implementing various strategic and preventive legal aid schemes introduced by NALSA to extend the benefits of the welfare enactments and social security schemes to the persons who are deprived of justice and a dignified life.

This Newsletter is a step in the direction of spreading awareness of activities taken up in the course of the past few months.


(Ajay Kumar Mittal)
CHIEF JUSTICE

Justice Sanjay Yadav

Administrative Judge,
High Court of Madhya Pradesh
Executive Chairman,
M.P. State Legal Services Authority
574, South Civil Lines, JABALPUR - 482 001 (M.P.)




Bungalow No. A-5
Judges Enclave, Dumna Road
Behind Rani Durgawati Vishwavidyalaya
JABALPUR (M.P.) - 482001
: 0761-2678014, 2626983 (O)
: 0761-2601433, 2600619 (R)

Message

To provide Legal services to the marginalized society cannot be a static process, it has to be dynamically evolving one so that it can respond to the specific needs of the community which is unable to afford legal representation and access to the court system. We have to continuously strive to improve ourselves, learn from each other and make efforts to reach out to the last person in the queue. I am immeasurably satisfied that under the able leadership and guidance of National Legal Services Authority, New Delhi, MPSLSA is striving hard to render services to the weaker section of the society. It takes several initiatives to reach out to every section of the society that is vulnerable such as SC/ST, Women, Industrial Laborers, and Children etc. I ensure that no stones would be left unturned by MP State Legal Services Authority in fulfilling its objectives.

I hope that this bulletin would facilitate and further the efforts made by all in this regard and would also act as a continuous motivation and encouragement for each one of us as it gives an opportunity to every District Legal Services Authority to showcase the good work done by it.


(Sanjay Yadav)



From the Editor's Pen...

I am delighted to bring forth the first newsletter of this year. In an age of information submergence, there is an increasing need to organise and share best practices for the cause of the stakeholders whom the legal services institutions represent. The Newsletter is a humble endeavour in this direction.

In view of milestones achieved by DLSAs across the State, this Newsletter aspires to be vibrant, engaging and accessible, and at the same time integrative and challenging.

The language used is a sprinkle both of Hindi and English to give a choice to readers. Needless to say, any information or feedback from the esteemed readers would be much appreciated and will make a substantial contribution to the development and success of future Newsletters.

Best wishes and thank you in advance.

Giribala Singh
Member Secretary,

"Divyangta se sachalta ki ore" Date : 26-30 March 2019

A physical disability is a limitation on a person's physical functioning, mobility, dexterity or stamina. Other physical disabilities include impairments which limit other facets of daily living. Disability in mobility can be either an in-born or acquired with age or disease.



Stigma Faced By Disabled

Disabled persons face discrimination in every sphere of life. The Legal Services Institutions empowers them through spreading awareness among the public for treatment at par with other citizens under The Rights of Persons with Disabilities Act 2016, Mental Health Care Act 2017 and National Trust Act 1989.



Inauguration of Legal Awareness & Free Artificial Limb Medical Camp by Hon'ble the Chief Justice Shri S.K. Seth

To fulfill the above objective a three day camp extended to five days was organized as a joint venture in coordination with High Court of Madhya Pradesh, SLSA, DLSA, Bhagwan Mahavir Viklaang Sahayta Samiti (Jaipur Foot), Netaji Subhash Chandra Bose Medical College inaugurated by Hon'ble the then Chief Justice Shri S.K. Seth and with the motivation of Hon'ble Shri Justice Ajit Singh & Hon'ble Shri Justice Sujoy Paul. Presently a Permanent Artificial Limb Centre has been setup and the beneficiaries till date are as follows:-

1. Divyangjan benefited- 1945
2. Artificial Legs- 371
3. Calipers- 171
4. Artificial Hands- 108
5. Hearing Aids- 503
6. Tricycles- 352
7. Wheelchairs- 261
8. Crutches- 223
9. Sticks & other equipments- 16



Give me a *Place*
to *Stand*
&
I shall
move the *Earth*!

गवालियर व्यापार मेला २०१९ में विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रदर्शनी का आयोजन

गवालियर जिले में विगत 100 वर्षों से प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले गवालियर व्यापार मेला आयोजित किया गया। इस मेले की ख्याति संपूर्ण भारत स्तर पर अलग पहचान रखती है। इसी क्रम में जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष श्री दीपक कुमार अग्रवाल के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में जिला गवालियर में गत वर्ष की भाँति गवालियर व्यापार मेला में माह जनवरी एवं फरवरी 2019 में प्रदर्शनी सेक्टर में विभागीय प्रदर्शनी लगाई गई।



गवालियर मेले में विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय यादव एवं अन्य न्यायमूर्तिगण

उक्त विभागीय प्रदर्शनी का शुभारंभ मान० न्यायाधिपति श्री संजय यादव, म०प्र० उच्च न्यायालय खण्डपीठ गवालियर, श्री शील नागू, मान० न्यायाधिपति, म०प्र० उच्च न्यायालय खण्डपीठ गवालियर एवं अन्य मान० न्यायाधिपतिगण, श्री दीपक कुमार अग्रवाल, जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष महो०, जिला न्यायालय गवालियर के मान० न्यायाधीशगण, सचिव जिविसेप्रा०, पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल वालेंटियर एवं आमजन की उपस्थिति में किया गया।

प्रदर्शनी में पृथक् से एक हाल बनाया गया जिसमें आगुन्तकों के बैठने की उचित व्यवस्था की गई तथा उसमें प्रोजेक्टर के माध्यम से नालसा द्वारा प्रदत्त डाक्यूमेंट्री, सूक्ष्म फिल्में, संकल्प गीतों एवं विभागीय योजनाओं को प्रदर्शित किया गया।

साथ ही विभागीय मेले के दौरान न्यायाधीशों के माध्यम से विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित की जारी रही विभागीय योजनाओं, शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं एवं आमजन से संबंधित विविध कानूनों से परिचित कराया गया।



गवालियर व्यापार मेला २०१९ में विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रदर्शनी का आयोजन

उक्त मेले के दौरान प्रदर्शनी में उपस्थित होने वाले सैलानियों एवं विधिक जागरूकता शिविरों के माध्यम से 11589 महिला, पुरुषों को जागरूक एवं लाभान्वित किया गया। प्रदर्शनी में एक लीगल एड क्लीनिक भी स्थापित किया गया।

इसके अतिरिक्त गवालियर व्यापार मेला के दौरान मेला परिसर के विभिन्न-विभिन्न छत्रियों एवं सार्वजनिक स्थानों पर 12 नुक्कड़ नाटकों (नाटक रंगमंच के कलाकारों के माध्यम से) का आयोजन किया गया। जिसमें कलाकारों द्वारा भिन्न-भिन्न पात्रों के माध्यम से दर्शकों को विधिक सहायता तथा नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान की गयी।



प्रदर्शनी स्थल पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गवालियर का स्टॉल



मेला आयोजन के दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से विधिक सेवा योजनाओं का प्रचार-प्रसार

State Review consultation on Juvenile Justice

TOWARDS CARE AND PROTECTION OF EVERY CHILD

28th SEPTEMBER, 2019

RCPV, NARONHA ACADEMY OF ADMINISTRATION, BHOPAL



Motivating the Stakeholders



Standing United- for the cause of Children

On 28th September 2019, State Review Consultation on Juvenile Justice, 'Towards Care and Protection of Every Child in Madhya Pradesh' was held at RCPV Naronha Academy of Administration, Bhopal

The State Review Consultation was inaugurated by Hon'ble Shri Justice J. K. Maheshwari, Judge, High Court of MP & Chair of HC-JJC, in the presence of other stake holders.

The Consultation was structured into 4 thematic areas

1. Alternate Care & Family Strengthening, De-Institutionalization & After Care.
2. Quality Institutional Care Services.
3. Child Protection Work force Development & Psycho-Social Support for Children.
4. Quality Monitoring & Data management.

We strive to work in all above areas for the 'Best Interest of Children' through regular monitoring, mentoring programmes, training stakeholders and co-ordination with concern departments.

अशोका गार्डन इलाके में रहने वाली 36 वर्षीय ट्रांसजेण्डर संजना सिंह को इसी साल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल में पैरालीगल वालेंटियर्स (पी.एल.व्ही.) बनाया गया है। यही नहीं उन्हें लोक अदालत में खण्डपीठ का भी सदस्य बनाया गया है। मार्च में आयोजित लोक अदालत में संजना द्वारा खण्डपीठ की सदस्य के रूप में प्रकरणों की सुनवाई भी की गई।

थर्डजेण्डर पैरालीगल वालेंटियर की सामाजिक न्याय विभाग में नियुक्ति

पिछले 15 सालों से राजधानी भोपाल में सोशल वर्क से जुड़ी एवं जिला प्राधिकरण भोपाल में पी.एल.व्ही. के रूप में कार्यरत ट्रांसजेण्डर संजना सिंह को म.प्र. सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के डायरेक्टर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने बतौर निज सचिव नियुक्त किया गया है। प्रदेश में यह पहला अवसर है जब सरकारी विभाग में किसी ट्रांसजेण्डर को नौकरी पर रखा गया है। श्री तिवारी स्वयं देश के पहले दृष्टिबाधित आईएस ऑफिसर हैं। म.प्र.के विभिन्न जिलों में कलेक्टर रहने के बाद वर्तमान में वे यहां डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। उनके द्वारा बताया गया कि समाज को एक नई शुरुआत करनी होगी। मैं अपने विभाग में आउटसोर्स के कर्मचारी के रूप में ट्रांसजेण्डर को मौका दूंगा ताकि उन्हें सम्मान एवं गरिमापूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत करने हेतु एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले।



भिन्न किन्तु अलग नहीं – "हम साथ साथ हैं"



In the early hours of a working day in October 2019 a small huddled and bleeding figure squatted behind the bus stand facing Science College. People walked to and fro hastily, oblivious of the pain, anguish and isolation which accompanies an amputated leg and compounded with the fear of unknown spaces.

Spotting him by a member of the Legal Services, immediate action was taken and with the help of a community of students from the adjacent Science College and DLSA Jabalpur, he was put on an ambulance and transported to

Victoria Hospital where treatment was swift and effective.

Who was this man? What duty did we have towards him? Was he our responsibility? While the grapevines circulated that the same person was visible since last couple of days at the gates of a temple closeby, the incident also raises a pertinent question:

Why don't each one of us see the god within each person inside and outside our own selves and reach out to all such persons with compassion forthrightness and promptitude!



Science college grounds are a wonderful place for exercise, camps, chit-chats and NCC activities. Amidst the humdrum of activities, there was a huge scattering of plastic bags, chocolates paper and other such waste material. A lady in her 60's started the exercise of gently picking up such waste and putting them in bag. It took only a small request to the NCC Group to lend a hand and presto! The whole ground was cleaned in a matter of minutes.

Moral of the story is it takes only one to snow ball the cleaning campaign. Join hands and start! Certainly we shall soon be denizens of a cleaner, greener and healthier beautiful planet.

Lifting the Veil of Superstition- From Daagna to Sanjeevini



The soft warmth of my mother's body was my first experience of touch. Little did I then realise that the hot iron brand of "Dagna" ritual is also another touch- a touch shrouded in superstition, a touch which is an antithesis to the common belief that it alleviates pain and in fact is the cause of death of several young children like me in the age group of 1-6 years.

Between the kitchi-koo of toothless grandmas and chit chat of doting aunts, I graduated from a dorsal position to a vertical form but my health seemed to deteriorate. The placid gaze of my mother, a rare but precious sight between the veil that always covered her head, began to show signs of an unknown fear as children my age reached notable landmarks of growth. The "doctors" and priestmen of my tribe came hovering around with promises of a speedy recovery but the ultimate blow came in the shape of a man dressed strangely with a red hot iron rod.

My mother- oh where was she! As I whimpered under the shock of pain, I sighted my mother, head covered as usual but this time her eyes were averted. She could not face the sight of her first born whither like a flower below the blows of the red hot iron- the onslaught of the dagna pratha.

Dagna Pratha is a practise among certain tribal belts including District Umariawhere children are branded with hot iron bars in order to cure them from diseases. Before the hot iron rod is pressed on the child's stomach an oil is placed on a skin around the navel. Children like me undergo immense pain and sufferings and in many cases death occurs due the infection caused.

I came to senses in an airy space which seemed nothing like the mud caked home of my birth. The veil on my mothers head had parted to give way to a gentle glow. The glow that comes with faith, trust and hope in recovery through good medical care. I came to learn that I was in a centre under the Nutrition Rehabilitation Centre and had been brought there under Operation "Sanjeevani" a campaign launched by the District administration Umariawhere children are branded with hot iron bars in order to cure them from diseases.

The rest is for the record. Sanjeevani Campaign was launched all across district Umariawhere children are branded with hot iron bars in order to cure them from diseases. Before the hot iron rod is pressed on the child's stomach an oil is placed on a skin around the navel. Children like me undergo immense pain and sufferings and in many cases death occurs due the infection caused. The rest is for the record. Sanjeevani Campaign was launched all across district Umariawhere children are branded with hot iron bars in order to cure them from diseases.

Methodology Adopted:

- Identification of children in the age group of 0 to 6 by Anganwadis.
- Enlisting services of the Education Department and Village Development Agencies.
- Issuance of prohibitory injunction orders under Section 144 (1) of CrPC on 04.05.2019 by District Magistrate.
- Issuance of orders to take action against the persons involved in the practice under Section 107/116(3) CrPC by Superintendent of Police, District Umari.
- Wide publicity of action taken reported through Newspapers, Legal Services Awareness Camps, Jan Chopal, Lok Kalyan Shivir etc. explaining that health can be restored through access to medical services joining people from different walks of life in the effort to get rid of superstitions.

A target oriented camp was organized on 28th of May 2019 in village Kudara of District Umari jointly with MP/SLSA and district administration, in presence of some officers from NALSA. While informing the villagers about the side effects of branding, the pain and inhuman suffering caused to children as a result of such a belief system at the same time a strong belief system in existing medical facilities at the doorstep was created. With effective results, Guardians of toddlers realised came to trust the medical system for the happy future of their children.

Follow up:

After starting the Sanjeevani Abhiyan, a single incident of branding a child came to light in the district in the month of May. After investigating the complaint received in the Gram panchayat Jamunara, Janpad panchayat Manpur, it was revealed that the newborn girl Ashwani Baiga had been branded with a iron bar by Gowana Bai Chaudhary. After this, on 10 May 2019, an FIR was lodged against Gowana Chaudhary under Section 188 of the Indian Penal Code in the police station Manpur.

The responsibility of monitoring the Sanjeevani campaign has been entrusted to the Department of Women and Child Development. In every village a register is being maintained in which every child from 0-6 years has been registered. The Anganbadi worker, Asha worker, Gram Panchayat sachiv and Sarpanch of the village and the PLV from Legal Services Institution make sure that no case of branding of the registered children reappears.

Outcome:

In the year 2018-19, out of 60 thousand 602 children registered in 763 Anganbadi Centers of the district, 673 children were reported to be filed. As a result of all the measures taken under operation Sanjeevani, no such case of branding has been registered since the month of May.

Today Umari is free from the curse of Dagna pratha and I am hale and hearty. Had it not been for the timely intervention of Legal Services Institution and the District Administration, the denizens of my Villages and District with 80% rural population and 42% under forest cover would have continued under influence of treatment by quacks. We now are equipped to join the human race and spread awareness to remove these in-human practices and strive for a healthy environment.

विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुरक्षित रखने के उद्देश्य से स्थानीय अशासकीय संस्था सचखंड सेवा समिति बैतूल के सहयोग से जिला मुख्यालय बैतूल में स्थित ऐतिहासिक महत्व के सरोवरों को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छ सरोवर अभियान की शुरुआत की गई, इसी क्रम में विश्व पर्यावरण दिवस के आगमन के एक दिवस पूर्व दिनांक 04.06.2019 को सुबह 7:00 बजे से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल एवं सचखंड सेवा समिति बैतूल के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छ सरोवर अभियान की शुरुआत बड़े तालाब से हुई, जो कि जिला बैतूल की एक ऐतिहासिक धरोहर है, जिसका निर्माण सन् 1836 में किया गया था।



The land of village Umargohan situated to gentle slopes of Amarkantak birthplace of the serene Narmada River is very fertile. People live in harmony with each other but as sources of water had not been saved there has been a gradual scarcity of water in the village. The only pump installed had water for only one hour. There were long queues at the pump in the village requiring drinking water. There were often disputes about woman filling the water first.

Shashi a young woman living in the same village would get very upset everyday seeing the controversy erupt among women for water. She often persuaded these women not to dispute among themselves, but all of this was to no avail. She often prayed to her village deity to resolve the disputes.

On the morning of 30th May 2019, there was a dispute among women over the first water filling. On the same day a team of NALSA from Delhi, MP SLA and DLSA Anuppur visited the village of Shashi.

All of the visiting officers gathered the people of the village and started a conversation about their legal rights and problems. The tribal women were seated at the front while the men were sitting at the back. The tribal women were more vocal than the men.

For Shashi, this opportunity was not less than a boon; she felt that the village god had heard her prayer.

As soon as she got the opportunity, Shashi stood up and spoke incessantly. She presented in her own words an illustrative description of the problem of drinking water in the village and the problems caused by it to the people of the village and the bitterness between them.

Members of the joint team discussed among them and felt that this problem had created unwarranted disputes between the villagers. All the members of team requested the Chairman DLSA Anuppur that he should coordinate with the district administration and make water arrangement.

After a continuous and regular follow up by the DLSA Anuppur the water problem was solved as there was an installation of 2 tanks having the storage capacity of 5000 litres each in the village. Also, bore wells were dug up in the village to access the underground water and there were setting up of pipelines throughout the village to facilitate the water supply.



Water Tanks with storage capacity of 5000 litres Setting up of pipelines in the village

Looking to the initiative of Shashi for the welfare of her village, she was inducted as a PLV with some basic training. Villagers were also guided on water conservation methods and how to prepare water harvesters.

After all this been done not only Shashi the whole village is HAPPY.



दिनांक 01.10.2018 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सुभाषचंद्र बोस केन्द्रीय जेल के संयुक्त तत्वाधान में रेड्कास सांसायटी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, जबलपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस कार्यशाला आयोजन का मुख्य उद्देश्य था, वृद्धजनों के खालीपन को दूर करना और उनकी उर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाना, जिससे खाली समय में अकेलापन और उदासी उन्हें न घेरे बल्कि कोई रचनात्मक कार्य करके वे खुद को उपयोगी एवं सक्रिय समझे। इस रचनात्मकता से वे अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकते हैं।

इस भावना को कार्य रूप में परिणित करने हेतु राज्य प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय जेल जबलपुर से सहयोग लिया गया। जेल प्रशासन द्वारा एन.जी.ओ. की सहायता से दीपावली के दिवों पर रंग करना सिखाया गया तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा रंग एवं दिये उपलब्ध कराये गये। इस कार्यशाला आयोजन पश्चात् वृद्धजनों द्वारा तैयार किये गये दियों को बाजार में बिक्री कर राशि वृद्धजनों को दी जायेगी।

अकेले नहीं हैं आप!



जिला प्राधिकरण शहडोल के द्वारा ट्रेन में मिले मानसिक रूप से दिव्यांग युवक को सेवा धाम अंबोदिया, उज्जैन में प्रवेश कराया गया। यह युवक न ही स्पष्ट बोल पा रहा था एवं न ही लिखकर अपनी बात स्पष्ट कर पा रहा था। बाल कल्याण समिति द्वारा उम्र अधिक होने के कारण इस युवक को रखने में असमर्थता प्रकट की थी, उक्त तथ्य चाईलड लाईन के द्वारा जिला प्राधिकरण के सचिव श्री अनूप कुमार त्रिपाठी तक पहुंची। श्री त्रिपाठी द्वारा सामाजिक कल्याण विभाग से उक्त मंदबुद्धि के संबंध में आवश्यक कदम उठाने हेतु संपर्क किया गया। जिसके पश्चात् युवक का मेडीकल परीक्षण करवाया जाकर उसे सेवाधाम अंबोदिया आश्रम, उज्जैन में प्रवेश दिलवाया गया, इस तरह जिला प्राधिकरण, शहडोल के प्रयासों से एक मंदबुद्धि युवक की पर्याप्त देख-रेख की व्यवस्था हुई।



ट्रेन में मिला मंदबुद्धि दिव्यांग

एडीजे, चाईलड लाईन, पुलिस एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयास से की गई मदद

विजय गांव, शहडोल।

ट्रेन में सफर कर रहे एक व्यक्ति ने चाईलड लाईन के 1098 नंबर पर कॉल कर एक लगभग 20 वर्ष के एक मंदबुद्धि दिव्यांग की जानकारी दी जो स्पष्ट रूप से न तो बोल पा रहा था न ही लिखकर अपनी बात स्पष्ट कर सकता था। चाईलड लाईन शहडोल द्वारा उस बालक को अपने पास लेते हुए इसकी जानकारी जी.आर.पी., आर.पी.एफ. को दी। चाईलड लाईन द्वारा बालक को बाल कल्याण समिति के समक्ष ले जाया गया। जिन्होंने बालक को उम्र लगभग 20 वर्ष होने से कोई भी आदेश देने से इंकार कर दिया गया। चाईलड लाईन के सदस्यों ने यह बात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के सचिव एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अनूप कुमार त्रिपाठी तक पहुंचाई, जिस पर उन्होंने सामाजिक कल्याण विभाग के संचालक एस.के. चौधरी से संपर्क किया तथा उस बालक के कल्याण हेतु आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया।

चाईलड लाईन को यह भी निर्देशित किया गया कि वह दिव्यांग के मिलने के बारे में थाना कोतवाली को सूचित करें। पुलिस अधीक्षक से चर्चा कर बच्चे के

विभाग के माध्यम से उचित कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा की गई जिस पर उनके द्वारा उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने की कहा गया। सामाजिक कल्याण विभाग के संचालक श्री चौधरी द्वारा विशेष प्रवास कर प्रबंधक सेवाधाम अंबोदिया उज्जैन से संपर्क कर बालक को अपने संरक्षण में प्राप्त कर सेवा धाम अंबोदिया में प्रवेश कराने का अनुरोध किया गया और प्राधिकरण को बताया गया। दिव्यांग का कुशाभाउ ठकुरे जिला चिकित्सालय में चिकित्सीय परीक्षण कराया गया उसके बाद सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ए.के. त्रिपाठी एवं सामाजिक कल्याण विभाग के संचालक एस.के. चौधरी द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला शहडोल से उस दिव्यांग को सेवाधाम अंबोदिया भेजने के लिए एक गार्ड की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया और इस प्रकार दिव्यांग को, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समन्वय से तथा विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के जिला विधिक सहायता अधिकारी जी.डी. दीक्षित के सक्रिय प्रयासों से सामाजिक न्याय विभाग एवं पुलिस विभाग से शीघ्रतापूर्वक सहयोग लेकर, सेवाधाम अंबोदिया उज्जैन में प्रवेश करवाया गया।

One of the first conditions of happiness is that the link between man and nature shall not be broken.
—Leo Tolstoy

प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग मानव जीवन और पर्यावरण पर कई नकारात्मक प्रभाव डालता है। हम बाजारू सामग्री के परिवहन हेतु इसका उपयोग शॉपिंग बैग के रूप में अपनी सुविधा के लिये करते हैं परंतु उनके गंभीर परिणामों को नजरअंदाज करते हैं जमीन पर फेंकी गई पन्नियों अथवा प्लास्टिक की थैलियों का पशुओं द्वारा उपभोग किया जाता है, जिससे उनमें पाचन संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं और जो उनकी मृत्यु का कारण बनती हैं। यहाँ तक की पेड़ पौधों को भी इनसे होने वाली हानि से नहीं बचाया जा सकता। मिट्टी में प्लास्टिक में मिलने से हानिकारक रसायनों का उत्सर्जन होता है, जिससे ऐसे प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों को नुकसान जीवों को नुकसान पहुंचता है जो पौधों के जीवन पर निर्भर रहते हैं। प्लास्टिक बैग के उपयोग के पर्यावरणीय परिणामों को जीवन के सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। हमारे वातावरण में प्लास्टिक के प्रभावों से बचाव हम सभी के लिये चुनौतीपूर्ण है।

उक्त तारतम्य में माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के निर्देशानुसार जन सामान्य को प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के बारे में सचेत करने के लिये म.प्र. के समस्त जिला प्राधिकरणों में एक विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया गया। पैरालीगल वालेंटियर्स के सहयोग से चलाये गये इस अभियान में आमजन को न सिर्फ प्लास्टिक के उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया बल्कि उपचारात्मक प्रक्रिया का पालन करते हुए पॉलीथीन के वजन के बराबर वजन की कपड़े की थैलियाँ प्रदान की गईं। भविष्य में भी यह अभियान प्रत्येक 15 दिवस में पुनः समस्त जिलों में चलाया जाएगा, जिससे आमजन में जागरूकता बढ़ेगी और धीरे-धीरे पॉलीथीन को हटाकर कपड़े की थैलियों का पुनः प्रचलन प्रारंभ हो जाएगा

अशोकनगर



दतिया



(क्रमशः)

प्लास्टिक की थैली/पन्नी पर रोकथाम हेतु विशेष अभियान

"Nature is painting for us, day after day, pictures of infinite beauty."
—John Ruskin

शिवपुरी



नीमच



रीवा



खाण्डवा



(क्रमशः)

प्लास्टिक की थैली/पन्नी पर रोकथाम हेतु विशेष अभियान



उज्जैन



होशंगाबाद



(क्रमशः)

प्लास्टिक की थैली/पन्नी पर रोकथाम हेतु विशेष अभियान

The ultimate test of man's conscience may be his willingness to sacrifice something today for future generations whose words of thanks will not be heard.

—Gaylord Nelson

गिह



डिणहोरी



झाबुआ



प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य संगठन की कार्यपद्धति को विकसित करना होता है, ताकि वे न केवल उन्हें दिये गये कार्यों को अच्छे ढंग से निष्पादित कर सकें, बल्कि उनमें मनोबल व उत्साह भी उच्चकोटि का हो सके।

इसी उद्देश्य के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सहायता अधिकारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हेतु दिनांक 06.10.2018 को जबलपुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें नालसा एवं सालसा द्वारा संचालित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के साथ-साथ भविष्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों के संबंध में जानकारी दी गई। नित नवीन प्रकरणों के न्यायालयों के संस्थापन से बढ़ते मुकदमों के शीघ्र निराकरण एवं पक्षकारों को न्याय सुलभ कराने की वैकल्पिक तकनीक जैसे लोक अदालत तथा मध्यस्थता आदि में विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका को अधिक महत्वपूर्ण एवं उत्तरदायी बना दिया है।

जिला विधिक सहायता अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम की झलकी



पैलीगल वालेंटियर्स/अधिवक्तागण हेतु आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

समाज को जागरूक करने एवं आमजन की विधिक समस्याओं में सहायता करने और शासन की विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाएँ जैसे निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना, मध्यस्थता योजना, विभिन्न लोक अदालत योजना, विधिक साक्षरता शिविर योजना, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, लीगल एड क्लीनिक, विभिन्न कानूनी प्रावधानों, फैमिली लॉ, संपत्ति विधि, महिलाओं से संबंधित कानून, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम आदि के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।

गुना



मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर



कौशल उन्नयन की दिशा में सार्थक कदम

देवास



दमोह



दमोह



शिवपुरी



खुले संवाद से मिटें विवाद



In keeping with the principles envisaged in Section 4 (k) of the Legal Services Authorities Act 1987, Legal Services Clinics have two main objects.

A. To improve the clinical legal skills of the students;

B. To inculcate an attitude amongst the students to provide effective legal services to the poor and marginalized people.

The Legal Services Clinics NLIU has made giant strides and a brief showcase of their activities is reflected below:



Legal Aid Clinic NLIU, Bhopal - Health Check-up Camp Inaugural Session



Let's walk the talk - Plantation drive



Flocking to the Clinic



Action Time: Legal Aid Clinic at NLIU, Bhopal

बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, विशेषकर बालश्रम की रोकथाम की दशा में म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण दृढ़ संकल्पित है। इस तारतम्य में 5 सितम्बर 2019 को बालश्रम से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रक्रिया एवं विभिन्न योजनाओं हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रम विभाग के सहयोग से एक दिवसीय संभागीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।




Workshop on Child labour at Jabalpur



Brainstorming Sessions



Connecting the Dots



जिला प्राधिकरण धार द्वारा ग्राम निसरपुर तहसील कुक्षी, जिला-धार में नर्मदा नदी के बाढ़ पीड़ितों को पैरालीगल वालेंटियर्स की सहायता से दिनांक 11.08.2019 से दिनांक 12.08.2019 तक 02 दिवसीय विशेष सहायता अभियान चलाया गया। जिसमें कुल 165 बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलाई गई।

जिला प्राधिकरण द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों से संपर्क एवं समन्वय कर तत्काल सहायता सुनिश्चित की गई। बाढ़ पीड़ितों को अस्थाई आवास – टीन शेड एवं सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के कार्य का पर्यवेक्षण किया गया। भोजन, दवाईयों, पेयजल एवं अन्य राहत सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। दवा एवं पाउडर का छिड़काव कर महामारी रोकने के त्वरित प्रयास किये गये। कुल 1699 परिवार विस्थापित हुये हैं जिनमें से 165 आपदा पीड़ितों को जिला प्राधिकरण धार द्वारा लाभान्वित किया गया एवं उनके पुनर्वास का कार्य अभी भी जारी है।

आपदा पीड़ितों का पुनर्वास – जिला प्राधिकरण, धार के प्रयास



बाढ़ पीड़ितों को प्रदान की गई आकस्मिक सहायता

जिला प्राधिकरण बड़वानी द्वारा सरदार सरोवर बांध का पानी गांवों में आने से आयी बाढ़ के कारण प्रभावित व्यक्तियों को नालसा (आपदा पीड़ितों के लिये विधिक सेवाएं) योजना, 2010 के अंतर्गत लाभ दिलाया गया। इस हेतु जिला प्राधिकरण द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स को नियुक्त किया गया। जिन्होंने गांव-गांव दौरा करके पीड़ितों की पहचान की और उन्हें पुनर्वासित करने के लिये आवेदन प्राप्त किये। इन पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत शिविर जैसे सुरक्षित स्थलों पर पहुँचाया गया। जिला प्राधिकरण द्वारा शासन के विभिन्न विभागों से संपर्क करके बाढ़ पीड़ितों को भोजन, आवास एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई। विस्थापितों के पुनर्वास हेतु वर्तमान में भी प्रयास जारी हैं। जिनमें उनके शासन स्तर पर लंबित दावों का निपटारा कराया जा रहा है।

आपदा पीड़ितों के पुनर्वास में सहायता करते हुये जिला प्राधिकरण – बड़वानी के पैरालीगल वालेंटियर्स



आपदा प्रबंधन के संबंध में आयोजित विशेष विधिक साक्षरता शिविर



तहसील – सरदारपुर, जिला धार

जिला प्राधिकरण धार द्वारा आपदा प्रबंधन से बचाव एवं मॉक ड्रिल के संबंध में विशेष विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन जिला मुख्यालय धार एवं तहसील मुख्यालय सरदारपुर, बदनावर, धरमपुरी, मनावर और कुक्षी में किया गया। उक्त शिविर में प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा के संबंध में आमजन को विस्तृत जानकारी दी गई।



तहसील – बदनावर, जिला धार



जिला न्यायालय परिसर धार



तहसील – मनावर, धार



जिला न्यायालय परिसर धार

कहानी महु जिले की है जहां एक दंपति खुशी-खुशी अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनकी एक पुत्री भी थी। उनकी शादी को ग्रहण तब लग गया जब पति शराब के व्यसन का आदी हो गया। घर में आये दिन झगड़े होने लगे शराब की लत से परिवार की आर्थिक स्थिति भी डगमगाने लगी। तंग आकर पत्नी बच्ची को लेकर अपने मायके वापस चली गयी। पति के कई बार बुलाने पर भी पति वापस नहीं आई और उसने यह शर्त रखी कि पति की शराब की आदत छोड़ने के पश्चात् वह घर वापस आयेगी। पत्नी को मनाने के सारे प्रयास विफल होने पर पति ने न्यायालय के समक्ष अपना प्रकरण प्रस्तुत किया।



उक्त प्रकरण को माननीय न्यायाधीश महोदय ने देखा और पाया कि ये मामला आपसी सहमति से निराकृत हो सकता है और उक्त प्रकरण को लोक अदालत में रखकर दोनों पक्षकारों को चर्चा के लिए सूचना पत्र जारी किया गया। सूचना पत्र में निर्धारित तिथि पर दोनों पक्षकार उपस्थित हुये। विद्वान न्यायाधीश ने पति को शराब की लत के दुष्परिणामों के बारे में बताया और कहा कि यह लत तुम्हारे स्वास्थ्य, भविष्य और परिवार सब तबाह कर देगी। न्यायाधीश महोदय की समझाइश से पति की आंखें खुल गयीं और उसने शराब छोड़कर अपनी पत्नी और बच्ची की संपूर्ण देखभाल करने का वादा किया। इस तरह लोक अदालत में पारस्परिक सहमति से विवाद का निराकरण हुआ और एक परिवार टूटने से बच गया।

लोक अदालत ने रोपा नई उम्मीद का पौधा

यह घटना खंडवा जिले की है जहां एक दंपति के बीच चल रहे 08 साल लंबे विवाद को लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया गया। पति-पत्नी के मध्य दहेज संबंधी मांग एवं घरेलू विवाद था। पति पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। पुत्र की पैदाइश के बाद पत्नी पर पुत्र के देखभाल की जिम्मेदारी भी आ गई। इस जिम्मेदारी में पति और उसके परिवारजनों द्वारा कोई हाथ न बंटाने से परेशान पत्नी अपने मायके वापस चली गई और न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। 08 साल लंबे विवाद के बाद भी पति-पत्नी की समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। विद्वान न्यायाधीश द्वारा मामले में सुलह की संभावना देखते हुए दोनों पक्षकारों को सूचना पत्र जारी किया गया। सूचना पत्र प्राप्त होने पर दंपति निर्धारित दिनांक को न्यायालय में उपस्थित हुए जहां पर न्यायाधीश महोदय द्वारा उन्हें पृथक-पृथक रूप से एवं संयुक्त रूप से भी समझाइश दी गई। समझाइश के बाद दोनों पति-पत्नी साथ में रहने के लिए राजी हो गये। पति ने कहा कि वह अपनी पत्नी की आगे से अच्छी देखभाल करेगा और उसे कभी भी प्रताड़ित नहीं करेगा। दोनों ने खुशी-खुशी नये सिरे से जीवन प्रारंभ करने के लिए खाना होने से पहले माननीय न्यायाधीश महोदय से आशीर्वाद प्राप्त किये। एवं एक-दूसरे को वरमाला पहनाई। विवाद का निपटारा होने के बादगार स्वरूप भेट किए गए फलदार पौधे का वृक्षारोपण करने एवं उसकी देखभाल करने का भी दंपति ने प्रण लिया। इस प्रकार लोक अदालत के माध्यम से एक टूटते हुए परिवार को पुनः एक करने का सफल प्रयास किया।



बूंद-बूंद से घट भरे, अक्षर-अक्षर ज्ञान।

जीवन मूल्य अमूल्य है, काम करें निष्काम ॥

धीरज, साहस और श्रम, सच्चे मित्र समान।

ये तीनों साथ हैं, तो बनते बिगड़े काम ॥

अलीराजपुर

न्यायिक पर्व- नेशनल लोक अदालत



अनूपपुर

आदिवासी हितों का संरक्षण - राज्य प्राधिकरण की पहल



मेगा शिविर के जरिए लाभान्वित

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की गतिविधियों की झलकियां (A-Z)

अशोकनगर

नारी शक्ति का सम्मान – नारी सशक्तिकरण शिविर आयोजन



बालाघाट

विधिक साक्षरता शिविर एवं मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम



मिण्ड

मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु शिविर



Contd....

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की गतिविधियों की झलकियां (A-Z)

भोपाल

एल.जी.बी.टी. समुदाय हेतु जागरूकता शिविर – “भिन्न किन्तु अलग नहीं”



बुरहानपुर

विधिक साक्षरता के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण



छतरपुर

खोर टू डोर कपेन करते हुए पीएलव्ही, मध्यस्थता – न किसी की जीत न किसी की हार



इंदौर

खोर टू डोर कपेन करते हुए पीएलव्ही, मध्यस्थता – न किसी की जीत न किसी की हार



Contd....

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की गतिविधियों की झलकियां (A-Z)

छिंदवाड़ा

न्याय आपके द्वार- आदिवासी हितों के संरक्षण हेतु राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रयास



दमोह

बाल अधिकार संरक्षण पर शिविर आयोजन



दतिया

न्याय की पहुंच - अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक



Contd....

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की गतिविधियों की झलकियां (A-Z)

देवास

सशक्त नारी - सशक्त समाज



धार

जेल शिविर आयोजन एवं तम्बाकू निषेध दिवस आयोजन



डिण्डोरी

नेशनल लोक अदालत आयोजन एवं शिक्षा के मूल अधिकार का प्रवर्तन



Contd....

गुना

विधिक अधिकारों का शिविर के माध्यम से प्रवर्तन



हरदो

सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाम्भवेत्।



होशंगाबाद

मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम एवं तम्बाकू निषेध दिवस आयोजन



Contd....

जबलपुर

पर्यावरण बचायें, पेड़ लगायें



झाबुआ

अधिवक्ता कौशल संवर्धन कार्यक्रम एवं आदिवासियों के अधिकारों का संवर्धन



कटनी

न किसी की जीत न किसी की हार – लोक अदालत



Contd....

खण्डवा

जेल में बंदियों के साथ रक्षाबंधन आयोजन एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता



मण्डला

सुरक्षित होगी बालिका तभी सुदृढ़ होगा समाज



मण्डलेश्वर

श्रमिकों एवं बंदियों के अधिकारों का प्रवर्तन



मंदसौर

कानूनी सहायता आपका अधिकार है



मुरैना

लोक अदालत एवं साक्षरता शिविर आयोजन



नरसिंहपुर

महिलाओं के अधिकारों का प्रवर्तन एवं बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण



नीमच

हर कदम में आपके साथ – विधिक सेवा प्राधिकरण



पन्ना

सुरक्षित बालक – सुरक्षित कल



रायसेन

आगे आये लाभ उठाये-साक्षरता के कदम



राजगढ़

न्याय की ज्योति से सद्भाव बढ़ाये



रतलाम

ज्ञान के प्रकाश से अन्याय का अंधेरा मिटता है



रीवा

बदियों के अधिकारों का प्रवर्तन एवं बाल संप्रेषण गृह निरीक्षण



सागर

न्यायदान में शासन का सहयोग



सतना

विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से जन जागृति



सीहोर

विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा – लोक अदालत



सिवनी

विधिक ज्ञान से आमजन को नई दिशा



शहडोल

दृष्टिजन एवं बालकों के अधिकारों का प्रवर्तन



शाजापुर

सब पढ़े – सब बढ़े



शोपुर

जागरूकता शिविर एवं लोक अदालत आयोजन



शिवपुरी

विधिक साक्षरता शिविरों के माध्यम से आमजन में विधिक ज्ञान का प्रसार



सीधी

बाल अधिकारों पर आयोजित कार्यशाला



सिंगरौली

विधिक ज्ञान का प्रसार करें, सबको न्याय प्रदान करें



टीकमगढ़

पॉक्सो एक्ट पर साक्षरता शिविर एवं आपसी समझौते से विवादों का निपटारा



उज्जैन

नुककड नाटक द्वारा जागरूकता अभियान



उमरिया

संजीवनी अभियान – दागना प्रथा के अभिशाप से मुक्ति




विदिशा

थर्ड जेंडर एवं बालिकाओं के संरक्षण हेतु जागरूकता शिविर




समस्या है तो समाधान है!

विधिक सेवा के लिए बढ़ाओ हाथ, पाओ सुख शांति का हाथ।



**DOOR TO DOOR
CAMPAIGNS**



TRAINING PROGRAMMES CONDUCTED BY SLSAs/DLSAs etc. From Oct. 2018 to Sep. 2019

S. No.	Training programme conducted	Type of programme	No. of training programmes conducted	Duration of the programme	No. of Participants
1	Panel Lawyers	Induction Program/ Basic Training/ Refresher Program	49	1 day	1905
2	Para-Legal Volunteers (PLVs)	Induction Program/ Basic Training/ Refresher Program/ Orientation Program	107	1 to 4 days	4567
3	Others (Pl. specify)	JJB Panel Lawyer Training/ Mediator Training/ Potential Training Mediation	10	1 day	459

REPORT OF THE LEGAL SERVICES CLINICS

From Oct. 2018 to Sep. 2019

1(a)	No. of Legal Services Clinics/Village Legal Care and Support Centres:		Villages	Community Centres	Courts	jails	JJB	Others	Total
		70	529	172	70	107	46	288	1282
(d)	No. of persons visited the Legal Services Clinics/Village Legal Care and Support Centres:	5259	24368	800	6612	9497	2520	21701	70757

(e)	No. of persons provided assistance in Legal Services Clinics/Village Legal Care and Support Centres	4985	24187	574	6986	6204	1958	20326	65220
-----	---	------	-------	-----	------	------	------	-------	-------

Disposals and Beneficiaries under various

Lok Adalats

From Oct. 2018 to Sep. 2019

S. No.	Types of Lok Adalat	No. of Lok Adalats Held on	Total Taken Up Cases	Total Disposed off Cases	Total Benefited Person	Total Settlement amount (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7
1	National Lok Adalat (as per direction of NALSA)	4	1934709	218497	318458	915416848
2	Permanent and Continuous Lok Adalat (u/s 19)	584	24368	6154	120073	120963791
3	Permanent Lok Adalat for Public Utilities Services (u/s 22 B)	240	6029	400	546	181390
4	MNREGA Lok Adalat	35	326	326	528	1089364
5	Jail Lok Adalat	205	1834	269	528	-
6	Mobile/Field Lok Adalat	242	1800	514	897	2155621

Statistical Information

7	Special Lok Adalat (for Special Subject/Matters)	0	0	0	0	0
Total		1182	1310	1969066	226160	441030
Note: - Cases settled through Plea-Bargaining Process		-	-	200	163	134

Mediation Report

From Oct. 2018 to Sep. 2019

Opening balance (A)	No. of cases referred (B)	Total No. of Cases (A+B)	Settled Cases (C)	Unsuccessful Cases (D)	Not Started (E)	Total No. of Pending cases	Total No. of Connected Cases	No. of mediation awareness camp
5,439	70,705	76,144	21,620	37,637	10,384	6,503	1,400	1679

LEGAL LITERACY/LEGAL AWARENESS CAMPS/PROGRAMMES

(including Seminars, workshops, debates etc.) Month of

	Mode/place of awareness programme	No. of programme held	No. of Persons attended
1	School/College/university	2912	220667
2	Village/community Centre	3796	253158
3	Jail/other custodial home	2085	179229
4	Slum and labour colonies	271	13952
5	Melas/ Exhibitions	75	6430
6	Radio	0	0
7	Community Radio	0	0
8	TV	20	150
9	Others (Pl. specify)	4106	194290
Total		13265	867876

Statistical Information

LEGAL SERVICES BENEFICIARIES

From Oct. 2018 to Sep. 2019

S. No.	Categories	Providing Panel Advocate	Advice/Counselling	Other Services (Pl Specify)	Total
1	Scheduled Caste	1138	26919	13	28070
2	Scheduled Tribe	1086	27626	41	28753
3	Women	2839	43570	0	46409
4	Children	1737	19870	0	21607
5	In Custody	6700	32409	26	39135
6	Persons With disability	32	241	0	273
7	Industrial Workmen	2	3298	0	3300
8	Transgender	0	0	0	0
9	Victims of Trafficking in Human beings or begar	0	0	0	0
10	Victims of Mass Disaster, Violence, Flood, Draught, Earthquake and Industrial Disaster	0	658	0	658
11	General (Persons Whose annual income does not exceed the Prescribed limit)	1775	16392	6	18173
12	Other	1687	18662	4	20353
Total		16996	189645	90	206731

लघु विधिक साक्षरता एवं मनरेगा साक्षरता शिविर योजनाओं की जानकारी

	शिविर संख्या		कुल लाभान्वित व्यक्ति
	जिला प्राधिकरण	तहसील वि.सं.स.	
लघु विधिक साक्ष. शि.	313	224	24465
मनरेगा विधिक सा. शि.	151	81	16025

मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना की जानकारी

अधिवक्ता को सौंपे गये प्रकरण					लाभान्वित व्यक्ति					व्यय राशि
अजा	अजजा	पि.व.	सामा.	योग	अजा	अजजा	पि.व.	सामा.	योग	
410	505	836	489	2240	1042	492	4829	492	6855	508171

पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना की जानकारी

निराकृत आवेदन पत्रों की संख्या					लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या					माह की बैठक संख्या	उपस्थित सदस्यों की संख्या
अजा	अजजा	पि.व.	सामा.	योग	अजा	अजजा	पि.व.	सामा.	योग		
128	132	209	77	546	187	69	286	93	635	210	202

जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना

निराकृत आवेदन पत्र					लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या				
SC	ST	OBC	GN	Total	SC	ST	OBC	GN	Total
1491	1300	2452	1630	6873	1734	1520	3190	1719	8163

लीगल एड क्लीनिक योजना

निराकृत आवेदन पत्र					लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या				
SC	ST	OBC	GN	Total	SC	ST	OBC	GN	Total
4045	4221	6778	4605	19649	4334	4545	7679	5381	21939

श्रमिकों के विरुद्ध अपराध प्रकोष्ठ इकाई

निराकृत आवेदन पत्र					लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या				
SC	ST	OBC	GN	Total	SC	ST	OBC	GN	Total
19	3	29	2	53	16	3	26	1	46

महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई

निराकृत आवेदन पत्र					लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या				
SC	ST	OBC	GN	Total	SC	ST	OBC	GN	Total
208	96	428	561	273	178	87	390	437	1092

NALSA CAMP DETAILS

October 2018 to September 2019

S.N.	Scheme Name	Camps held	Total Beneficiaries Persons
1	NALSA (Legal Services to Senior Citizens) Scheme, 2016	804	47148
2	NALSA (Legal Services to Disaster Victims Through Legal Services Authorities) Schemes, 2010	439	28755
3	NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015	597	50826
4	NALSA (Legal Services to the Workers in the Unorganised Sector) Scheme, 2015	537	37751
5	NALSA (Child Friendly Legal Services to Children and their Protection) Scheme, 2015	1119	106197
6	NALSA (Legal Services to the Mentally Ill and Mentally Disabled Persons) Scheme, 2015	538	43511
7	NALSA (Effective Implementation of Poverty Alleviation Scheme) Scheme, 2015	679	46364
8	NALSA (Protection and Enforcement of Tribal Rights) Scheme, 2015	629	48164
9	NALSA (Legal Services to the Victims of Drug Abuse and Eradication of Drug Menace) Scheme, 2015	696	49881
10	NALSA (Legal Services to Victims of Acid Attacks) Scheme, 2016	609	45429
	Total	6647	504026



Giribala Singh
Member Secretary

D.K. Singh
Deputy Secretary

Arvind Shrivastava
Deputy Secretary

Poonam Tiwari
District Legal Aid Officer

Rajesh Saxena
District Legal Aid Officer

Manish Kaushik
District Legal Aid Officer

Madhya Pradesh State Legal Services Authority

574, South Civil Lines, Jabalpur - 482001 (M.P.)

Phone: 0761-2678352, 2624131, Fax: 2678537 email : mpslsajab@nic.in website: mpslsa.nic.in

ONLY FOR PRIVATE CIRCULATION

Designed & Printed by: GAPP, JBP, gagrc@hotmail.com, ISO-9001:2015, Mo. 09425151241